



सब पढ़ें सब बढ़ें  
राज्य परियोजना कार्यालय,

2020 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, विशासनगर, लखनऊ -226 007

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक  
उ0प्र0-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद  
राज्य परियोजना कार्यालय  
लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
समस्त जनपद  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : रा0प0नि0 / उपस्थिति वृद्धि-सुझाव / 6381 / 11-12 दिनांक: 26/3/2012

विषय : प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने की सुझावात्मक रणनीतियों के संबंध में।

महोदय,

आप भलीभांति अवगत हैं कि "निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009" के अन्तर्गत न केवल 6-14 वय वर्ग के समस्त बच्चों का विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित किया जाना है, वरन् बच्चों को तनाव एवं भयमुक्त रुचिपूर्ण वातावरण में आयु संगत अधिगम भी उपलब्ध कराना है। इसके लिए सभी बच्चों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति अत्यन्त अपरिहार्य है।

बच्चों के पठन-पाठन में नियमित उपस्थिति के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए आर0टी0ई0-2009 के अन्तर्गत सरकार का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह प्रत्येक बच्चे की उपस्थिति को सुनिश्चित और मॉनीटर करे।

प्रदेश के विद्यालयों का समय-समय पर कराये जाने वाले विभागीय पर्यवेक्षण से प्राप्त फीड बैक के अनुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने के लक्ष्य के समक्ष अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इस सम्बन्ध में सीमेट, इलाहाबाद के माध्यम से शोध संस्था-हरयाली सेण्टर फॉर रूरल डेवलपमेण्ट, नई दिल्ली से कराये गए अध्ययन में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की कम उपस्थिति के विषय में निम्नलिखित मुख्य कारण प्रकाश में आए हैं :-

- अभिभावकों का शिक्षा के प्रति कम रुझान होना — (19%)

- बच्चों की घरेलू कार्यों में व्यस्तता --- (16%)
- बच्चों का बीमार रहना --- (10%)
- छोटे भाई-बहनों की देखभाल में व्यस्तता --- (9%)
- विद्यालय का वातावरण रुचिपूर्ण न होना --- (10%)

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए एक बहुआयामी रणनीति अपनाने की आवश्यकता है ताकि बच्चों की उपस्थिति अधिकतम हो सके और उनका उपलब्धि स्तर बढ़ाया जा सके। इस संबंध में कतिपय सुझावात्मक रणनीतियाँ निम्नवत हैं :-

- बच्चों की शिक्षा के बारे में अभिभावकों/स्थानीय समुदाय को गतिशील और संवेदनशील बनाना आवश्यक है। इसके लिए -
  - (i) विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाए और उसकी प्रतिमाह नियमित बैठकें/गोष्ठियाँ आयोजित की जाय। विद्यालय के विकास की योजना के निर्माण में विद्यालय प्रबंध समिति का सक्रिय योगदान प्राप्त किया जाय।
  - (ii) विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक में अनुपस्थित/ड्रॉप-आउट बच्चों को नियमित विद्यालय में लाने के लिए कार्ययोजना बनायी जाए तथा सदस्यों को यह दायित्व दिया जाए कि वे अभिभावकों को इसके लिए प्रेरित करें।
  - (iii) बच्चों की शैक्षिक प्रगति के सुधारात्मक पक्षों, विशिष्ट रुझानों और व्यवहारों को अभिभावकों के साथ साझा किया जाय।
- अभिभावकों की शिक्षा के प्रति उदासीनता के अलावा घरेलू कार्यों में हाथ बटोंने के कारण भी बच्चे विद्यालय नियमित रूप से नहीं आते हैं तथा उन्हें पढ़ाई करने के लिए भी कम समय प्राप्त हो पाता है। इसके लिए-
  - (i) ऐसे बच्चों के माता-पिता से मिलकर शिक्षा के महत्व और सरकार द्वारा दिये जा रहे प्रोत्साहनों से अवगत कराया जाय और बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने का आग्रह किया जाय।
  - (ii) मिड-डे-मील, ड्रेस, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक और स्कूल बैग आदि सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन तथा निरीक्षण किया जाय।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच करने, स्वास्थ्य प्रतिरक्षण टीकाकरण करने और स्वास्थ्य शिक्षा विषयक स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किया जाता है। अतः स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ समन्वय स्थापित करके विद्यालय के सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाय और उन्हें समुचित उपचार एवं दवाएं उपलब्ध कराई जाय ताकि बीमारी के कारण बच्चे अनुपस्थित न हों।
- बच्चों के विद्यालय न जाने के प्रमुख कारणों में से एक कारण छोटे भाई-बहनों की देखभाल में उनकी व्यस्तता भी है। इस संबंध में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा 06 वर्ष से छोटे बच्चों की देखभाल एवं स्कूल पूर्व शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जाते हैं। छोटे भाई-बहनों की देखभाल में व्यस्तता के कारण विद्यालय न आने वाले बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्राथमिक विद्यालयों और ऑगनबाड़ी केन्द्रों के साथ उचित समन्वय स्थापित किया जाय।


इससे 06 वर्ष से छोटे बच्चों की स्कूल पूर्व शिक्षा के साथ-साथ उनके बड़े भाई-बहनों की अच्छी पढ़ाई संभव हो सकेगी तथा पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी आयेगी।

- विद्यालय में बच्चों के न आने का एक प्रमुख कारण विद्यालय में शिक्षकों द्वारा पढ़ाने का उबाऊ तरीका और अस्वीकारात्मक व्यवहार भी होता है। इसको बदलने के लिए
  - (i) बच्चों को स्नेहिल और सुरक्षात्मक वातावरण में पढ़ने-लिखने का अवसर प्रदान किया जाय।
  - (ii) प्रार्थना, उत्सवों एवं अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक अवसरों के आयोजनों में अधिकाधिक बच्चों की प्रतिभागिता को अवसर प्रदान किया जाय। इसके लिए बाल सभा समिति, पुस्तकालय समिति, खेल समिति, प्रार्थना/प्रार्थना समिति, स्वच्छता समिति, भोजन समिति आदि को गठित और सक्रिय किया जाय।
  - (iii) बच्चों की पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए लर्निंग कर्नर/बाल पुस्तकालय स्थापित किया जाय। लर्निंग कर्नर/पुस्तकालयों में बच्चे द्वारा किसी भी माध्यम से – पोस्टर, चित्र, कविता, कहानी, कोलाज की सामग्रियों को अवश्य प्रदर्शित किया जाय।
  - (iv) बच्चों में प्रेम, सौहार्द, सहजता और नेतृत्व आदि गुणों के सहज विकास वातावरण उत्पन्न करने के लिए खेलकूद, व्यायाम, पी0टी0, श्रमदान और बागवानी आदि गतिविधियां करायी जायें।
  - (v) बच्चों में सृजनात्मक क्षमताओं के विकास के लिए भाषण, निबन्ध लेखन, कहानी लेखन, कविता पाठ, बाल विवाद, खेल आदि लेखा चित्रण सामूहिक गान, लोकगीत, नाटक, मूक अभिनव आदि सम सामयिक विषयों पर चर्चा के अवसर उपलब्ध कराये जायें। बच्चों को मनोरंजक और उनकी जिज्ञासा में वृद्धि एवं पूर्ति के लिए कहानियाँ एवं घटनाएँ बतायी जायें। विद्यालयों में रोचक खेलों का आयोजन किया जाय जो विद्यालय को आमोद का स्थान (Place of Joy) बनाने में सहायक हो।

इस प्रकार की गतिविधियों के संचालन से विद्यालयों में भयमुक्त एवं तनाव रहित बाल केन्द्रित शिक्षा का वातावरण विकसित होगा। ऐसे सहज और आत्मीय सुरक्षित वातावरण से बच्चे निश्चय ही जुड़ाव महसूस करेंगे और स्वतः विद्यालय आने के लिए प्रेरित होंगे।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही हेतु समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक विद्यालय में उपर्युक्तानुसार व्यवस्था की जायें।

भवदीय,



(पार्थ सारथी सेन शर्मा)  
राज्य परियोजना निदेशक